पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 1048 / का.प. / बैठक / 18, बिलासपुर, दिनांक 11 / 06 / 2018

/ / अधिसूचना / /

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 72 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09 / 06 / 2018, दिन शनिवार, समय 12:00 बजे दोपहर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
   बिलासपुर

2. **प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव** – सदस्य
   आचार्य
   मानविकी अध्ययन विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
   (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

3. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** – सदस्य
   विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
   छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **श्री एस.के. चक्रवर्ती** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

5. **श्री एस. एल. नायक** – सदस्य
   संयुक्त सचिव
   छ.ग.शासन, प...यत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   नया रायपुर (छ.ग.)
   (सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

6. **डॉ. एस. के. जाधव** – सदस्य
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

7. **डॉ. एस. आर. पटेल** – सदस्य
पूर्व अधिष्ठाता
ठाकुर छेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

8. **श्री ओ. पी. सिंघानिया** – सदस्य
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य)

9. **डॉ. अनिता सिंह** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

10. **डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह** – सचिव
कुलसचिव (कार्यवाहक)

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **श्री राजशरण भगत** – सदस्य
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर

2. **श्री भोजराज नाग** – सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **सचिव** – सदस्य
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

कार्य परिषद् के बैठक प्रारंभ होने पर माननीय अध्यक्ष के द्वारा निवर्तमान सदस्य डॉ. देबाल के. सिंहरॉय के सकारात्मक योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उनके स्थान पर मनोनीत सदस्य प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहित सभी उपस्थित

सदस्यों का स्वागत किया। सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यपरिषद् के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 70 एवम् 71 वीं आपात बैठक की कार्यवाही–विवरण को सम्पुष्टि प्रदान करना तथा पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा 70 वीं व 71 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण का अनुमोदन किया गया तथा पालन–प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

पालन प्रतिवेदन में 70 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 10 (स्नातक भाग एक, दो एवं तीन के आधार पाठ्यक्रम के पुस्तकों में कॉपीराइट उल्लंघन को संज्ञान में लेना तथा कार्यवाही पर विचार) में एक लेखक डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के उत्तर को बैठक में रखा गया तथा यह निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति जी एक सदस्यीय समिति का गठन कर उसके प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय की संत्रात परीक्षा जून–जुलाई, 2018 के संचालन हेतु 92 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रू. 60,48,900/– (साठ लाख अड़तालीस नौ सौ) की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव कं 3 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक को दी गई कार्य करने की अनुमति की समय सीमा वृद्धि पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा पूर्व शर्तो के अधीन कार्यवृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 4 विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों में मानसेवी आधार पर अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों को पुनः मानसेवी आधार पर कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों पर कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिन मानसेवी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन 'बहुत अच्छा' और 'उत्कृष्ट' है उन्हें दिनांक 16/06/2018 से दिनांक 07/12/2018 तक कार्य करने का अवसर दिया जाए। आवश्यक न होने पर या गोपनीय प्रतिवेदन में 'अच्छा' या

'सामान्य' वाले प्रकरणों में माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे उनके अपील पर उचित निर्णय लेंवे।

प्रस्ताव कं 5 विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक दिनांक 01/06/2018 के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक के कार्यवाही–विवरण का अनुमोदन किया गया।

यह भी कि पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 की धारा 27 (अध्यादेश) में 'अध्यादेश कैसे बनाए जाय' के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु अधिनियम में संशोधन हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा जाए।

प्रस्ताव कं 6 विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत वाहन चालक एवं भृत्य के स्वीकृत वेतनमान ''कलेक्टर दर'' को आकस्मिकता निधि में परिवर्तित कर स्वीकृत करने संबंधी उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 31/03/2018 पर विचार हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र दिनांक 31/03/2018 में वर्णित ''इन पदों को आकस्मिकता स्थापना भर्ती नियम के प्रावधानों के अनुसार पद भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें'' पर शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को द्वितीय किश्त की राशि रू. 5 करोड़ स्वीकृति किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 5 करोड़ लोक निर्माण विभाग को देने की स्वीकृति दी गई। यह भी कि लोक निर्माण विभाग को कार्य प्रगति व उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पत्र लिखा जाए।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव –

प्रस्ताव कं 8 अनुचित साधन प्रयोग संबंधी दंड विधान नियम, 2018 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् के द्वारा नियम का अनुमोदन किया गया। अनुचित साधन प्रयोग संबंधी नियम, 2018 की कंडिका 3.1 के प्रावधानानुसार इस वर्ष के लिये कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. एस. आर. पटेल को नामांकित किया गया।

प्रस्ताव क्रं 9 परीक्षार्थी कामना त्रिपाठी, एम.ए.पूर्व (अंग्रेजी) का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन दें, जिसे कार्यपरिषद् की अगली बैठक में रखी जावें।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

11.6.18 11.6.18

(बीना सिंह)
कुलसचिव / सचिव

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

पृ. क्रं. 1049 / का.प. / बैठक / 18, बिलासपुर, दिनांक 11 / 06 / 2018

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्मानीय सदस्यगण –

3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

3.2 श्री भोजराज नाग, विधायक एवं उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, द्वारा श्री आशीष पाठक, म.न. 157, बोरियाकला (हाउसिंग बोर्ड कालोनी) रायपुर।

3.3 श्री राजशरण भगत, विधायक एवं उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जशपुर, तह. एवं जिला जशपुर।

3.4 श्री एस.के.चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

3.6 श्री एस.एल. नायक, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नया रायपुर।

3.7 सचिव, छ.ग.शासन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।

3.8 डॉ. एस. के. जाधव, प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

3.9 श्री ओ. पी. सिंघानिया, 62 / 6, नेहरू नगर ईस्ट, अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला दुर्ग।

3.10 डॉ. एस. आर. पटेल, एस. 16 के सामने, सेक्टर 2, अवंती विहार, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492006

3.11 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों ———————————————— को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीध्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

11.6.18

कुलसचिव